

राजस्थान का तहसील प्रशासन: संगठनात्मक ढांचा, कार्यप्रणाली, नवाचार एवं चुनौतियाँ – अजमेर जिले का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुखपाल सिंह राठौड़

सहायक आचार्य, लोक प्रशासन

एस एम एम राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा

सारांश:

यह शोध-पत्र राजस्थान राज्य के तहसील प्रशासन की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, नवाचारों एवं समकालीन चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अजमेर जिले को केंद्र में रखते हुए। तहसील प्रशासन राज्य शासन की नींव के रूप में कार्य करता है, जो नागरिक सेवाओं की सुगमता, भूमि प्रबंधन, राजस्व वसूली एवं विविध प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होता है। इस अध्ययन में अजमेर जिले के विभिन्न तहसीलों की संरचना एवं कार्यक्षमता की विवेचना की गई है, साथ ही ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, जनसुनवाई जैसे नवाचारों की प्रभावशीलता का परीक्षण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टाफ की कमी, प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, संसाधनों की सीमाएं एवं जनभागीदारी की न्यूनता जैसी प्रमुख चुनौतियों की भी पहचान की गई है। यह शोध स्थानीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नवाचारी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है, जो सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकते हैं।

मुख्य शब्द : राजस्थान, तहसील प्रशासन, संगठनात्मक ढांचा, कार्यप्रणाली, अजमेर, नवाचार, चुनौतियाँ, ई-गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार, सुशासन।

1.1 प्रस्तावना

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना में स्थानीय स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक इकाइयों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन इकाइयों में तहसील प्रशासन वह आधारभूत ढांचा है, जो राज्य शासन और आम नागरिक के बीच सेतु का कार्य करता है। तहसील, जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का एक मध्यवर्ती स्तर है, जो राजस्व, भूमि प्रबंधन, कानून-व्यवस्था, नागरिक सेवाओं और न्यायिक प्रक्रिया जैसे विषयों में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। राजस्थान जैसे भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत एवं प्रशासनिक दृष्टि से विविधतापूर्ण

राज्य में तहसील प्रशासन का कार्य अत्यधिक जटिल और बहुआयामी है। यह प्रशासनिक ढांचा न केवल औपचारिक आदेशों और प्रक्रियाओं का वाहक है, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले निर्णयों और सेवाओं का क्रियान्वयन करता है (Singh, 2018)।

वर्तमान युग प्रशासनिक नवाचार, डिजिटलीकरण और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की मांग का युग है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि तहसील प्रशासन की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली तथा उसमें हो रहे तकनीकी व प्रक्रियात्मक नवाचारों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए। विशेषकर राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ की सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक स्थितियाँ अत्यंत विषम हैं, तहसील प्रशासन को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भूमि विवादों का शीघ्र निवारण, राजस्व संग्रहण की पारदर्शिता, प्रमाण-पत्रों का त्वरित निर्गमन, और लोक शिकायतों की तत्पर सुनवाई जैसे विषय आम जन की प्रशासनिक धारणा को प्रभावित करते हैं (Rathore, 2020)। इस शोध की प्रेरणा राजस्थान राज्य के प्रशासनिक ढांचे की जमीनी सच्चाइयों के समीप जाकर उस प्रणाली की वास्तविक स्थिति को समझने से उत्पन्न हुई है, जो कागज़ी आंकड़ों और रिपोर्टों में अक्सर छुप जाती है। अधिकांश अध्ययन राज्य या ज़िला स्तर तक सीमित रहते हैं, जबकि तहसील स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली के संगठन और संचालन की वास्तविकता बहुत हद तक भिन्न होती है। यह शोध विशेष रूप से अजमेर जिले की तहसीलों पर केंद्रित है, जो राजस्थान का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अजमेर जिले की भौगोलिक विषमता, विविध सामाजिक संरचना और तीव्र शहरीकरण इसे अध्ययन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ की तहसीलों में प्रशासनिक व्यवस्था की जटिलताएं, नवाचारों की स्वीकार्यता और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता अन्य जिलों की अपेक्षा तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं (Jain, 2021)।

राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर तहसील प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए ई-गवर्नेंस की विभिन्न योजनाएं जैसे “अपना खाता”, “ई-मित्र”, “राजस्व लोक अदालत” आदि आरंभ की गई हैं, जो प्रशासन को पारदर्शी और नागरिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं की क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को समझना इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही, तहसील कर्मचारियों की कार्य दक्षता, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, और जन शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी इस शोध में किया जाएगा (Meena & Bhargava, 2017)।

अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तहसील प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा नकारात्मक होती है। प्रशासनिक विलंब, भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता और प्रक्रियात्मक जटिलताएं इस धारणा को बल देती हैं। यह भी देखा गया है कि कई बार नीतिगत योजनाएं और तकनीकी नवाचार नीचे तक पहुँच ही नहीं पाते, अथवा पहुँचने में काफी विलंब होता है। ऐसे में यह अध्ययन विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है, क्योंकि

यह तहसील प्रशासन की उन परतों को उजागर करता है जो नीति निर्धारकों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की दृष्टि से अक्सर ओझल रह जाती हैं (Choudhary, 2022)।

इस शोध का उद्देश्य केवल प्रशासनिक संरचना को निरूपित करना नहीं है, बल्कि इस संरचना की कार्यप्रणाली, नवाचारों की प्रभावशीलता और मौजूदा चुनौतियों का विश्लेषण करना भी है। यह विश्लेषण प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक सैद्धांतिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक हस्तक्षेप का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। शोध की दृष्टि से यह अध्ययन एक गुणात्मक-परिमाणात्मक (qualitative-quantitative) पद्धति पर आधारित होगा, जिसमें केस स्टडी, साक्षात्कार, प्रलेख विश्लेषण और फील्ड सर्वेक्षण सम्मिलित होंगे। यह शोध अजमेर जिले की चार प्रमुख तहसीलों – अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़ और सरवाड़ – तक सीमित रहेगा, ताकि एक संतुलित सामाजिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक विविधता को समाहित किया जा सके। यह सीमांकन इसलिए भी उचित है क्योंकि राज्य के सभी जिलों या तहसीलों को एक साथ अध्ययन में शामिल करना व्यावहारिक नहीं है और इससे शोध की गहराई प्रभावित हो सकती है। तथापि, चुनी गई तहसीलें जिले की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं (Yadav, 2021)। तहसील प्रशासन की जटिलताएँ केवल प्रक्रियात्मक नहीं हैं, बल्कि वे राज्य की शासन संस्कृति, नागरिक सहभागिता, और नीतिगत दृष्टिकोण से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। अतः यह अध्ययन एक प्रशासनिक इकाई के मूल्यांकन से कहीं अधिक, एक व्यापक लोकतांत्रिक विमर्श का अंग है – जहाँ शासन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण जैसे मूल्य केन्द्र में हैं।

1.2 राजस्थान में तहसील प्रशासन: एक अवलोकन

राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संदर्भों में विशिष्ट रहा है। यह राज्य पूर्ववर्ती रियासतों, जागीरों और ब्रिटिश शासन की सह-व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण रहा है, जिसका प्रभाव आज भी उसकी प्रशासनिक इकाइयों, विशेषकर तहसील व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजस्थान का वर्तमान प्रशासनिक तंत्र 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात स्थापित हुआ, जब विभिन्न रियासतों और जिलों को एकीकृत करके एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की गई। इसी संदर्भ में तहसील इकाई को एक मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर के रूप में पहचान मिली, जो जिले और गाँव के बीच प्रशासनिक संपर्क का कार्य करती है (Sharma, 2018)।

तहसील प्रशासन की अवधारणा औपनिवेशिक काल में अधिक स्पष्ट रूप से विकसित हुई, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भूमि राजस्व की वसूली और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 'तहसील' को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया। तहसीलदार, जो इस इकाई का प्रमुख अधिकारी होता है, को न्यायिक, कार्यकारी

तथा राजस्व संबंधित शक्तियाँ दी गईं। राजस्थान के अधिकांश जिलों में यह व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की अनुशंसा के पश्चात इसे एक संगठित स्वरूप दिया गया (Singh & Verma, 2020)।

राजस्थान में तहसील प्रशासन की संरचना बहुस्तरीय है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तथा राजस्व विभाग के अधीन मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), एवं संबंधित आयुक्त कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी (कलेक्टर) तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अधीन समस्त प्रशासनिक कार्य होते हैं। इसके पश्चात तहसील स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी आदि पद होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि राजस्व, अभिलेखों के संधारण, प्रमाण-पत्रों के निर्गमन, भूमि माप-सीमांकन एवं न्यायिक विवादों के निपटान में संलग्न रहते हैं। इस संरचना में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है, किन्तु अक्सर यह समन्वय सीमित या अव्यवस्थित पाया जाता है (Meena & Rathore, 2021)।

तहसील प्रशासन न केवल कार्यकारी निकाय है, बल्कि इसे न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, विशेष रूप से भूमि विवादों, सीमांकन, बंटवारे और अवैध अतिक्रमण से जुड़े मामलों में। तहसीलदार को "राजस्व न्यायालय" के रूप में विधिक मान्यता प्राप्त है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों के समाधान हेतु पहला मंच होता है। यह शक्तियाँ राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (Rajasthan Land Revenue Act, 1956) के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं, जो भूमि अभिलेखों के संधारण, रिकॉर्ड के अद्यतन, सीमांकन, खसरा-गिरदावरी, जमाबंदी, भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) आदि को विनियमित करता है। इस अधिनियम के अध्याय VI से अध्याय XIII तक तहसील स्तर पर लागू प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है (Government of Rajasthan, 2023)।

इसके अतिरिक्त, तहसील प्रशासन को "Rajasthan Tenancy Act, 1955", "Rajasthan Land Conversion Rules", "Rajasthan Stamp Act" जैसे अन्य अधिनियमों के तहत भी कार्य करना होता है, जो इसे एक बहुआयामी कानूनी दायरे में स्थापित करता है। भूमि से संबंधित अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस पोर्टलों की निगरानी, राजस्व वसूली के आंकड़ों का संकलन तथा जन सुनवाई के आयोजन जैसे कार्य भी इसी स्तर पर संपादित होते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा Apna Khata, e-Mitra, Raj-Kaushal, Jan Soochna Portal जैसी योजनाएँ तहसील स्तर पर लागू की जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके (Jain & Detha, 2022)।

हालाँकि यह संरचना परिकल्पित रूप से सशक्त प्रतीत होती है, परंतु व्यवहार में इसके समक्ष अनेक जमीनी चुनौतियाँ उभरती हैं, जैसे-कर्मचारियों की भारी कमी, तकनीकी दक्षता की न्यूनता, प्रशासनिक प्रशिक्षण की अनियमितता, तथा आईटी अवसंरचना की असमान उपलब्धता। अनेक तहसीलों में अभी भी भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं हैं और तकनीकी नवाचारों के बावजूद मैनुअल हस्तक्षेप जारी है, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगता है (Kumar, 2019)। इस प्रकार, राजस्थान का तहसील प्रशासन एक बहुपरतीय, कानूनी रूप से संरचित तथा कार्यात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसकी समीक्षा किसी भी प्रशासनिक सुधार के लिए अत्यावश्यक है।

1.3 तहसील प्रशासन की संगठनात्मक संरचना

राजस्थान में तहसील प्रशासन की संगठनात्मक संरचना एक समन्वित एवं पदानुक्रमित व्यवस्था पर आधारित है, जो राज्य के राजस्व, भूमि प्रबंधन तथा स्थानीय प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप में संचालित करने हेतु विकसित की गई है। इस संरचना का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण, अद्यतन, राजस्व वसूली, प्रमाण-पत्र निर्गमन, सीमांकन और न्यायिक विवादों का समाधान कुशलता से किया जा सके। इस बहुस्तरीय संरचना में प्रत्येक स्तर की अपनी विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियाँ हैं, जो प्रशासनिक दक्षता एवं पारदर्शिता के लिए आवश्यक मानी जाती हैं (Sharma, 2019)। तहसील प्रशासन का नेतृत्व तहसीलदार के हाथों में होता है, जिसे राजस्व प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कहा जाता है। तहसीलदार को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वह भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध अतिक्रमण, फसल गिरदावरी, और प्रमाण-पत्रों के सत्यापन जैसे कार्यों में निर्णायक भूमिका निभाता है। तहसीलदार राजस्व न्यायालय के प्रथम अधिकारी होते हैं, जिनके निर्णयों के विरुद्ध अपील उपखंड अधिकारी या जिला कलेक्टर के समक्ष की जा सकती है (Verma & Joshi, 2020)। उनके अधीन नायब तहसीलदार कार्य करते हैं, जिन्हें सीमित न्यायिक अधिकार होते हैं तथा वे तहसीलदार के सहयोगी के रूप में राजस्व प्रबंधन, अभिलेखों की निगरानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी, और जन समस्याओं के त्वरित समाधान जैसे दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

इसके पश्चात गिरदावर का पद आता है, जो पटवारियों के कार्यों की निगरानी करता है तथा विभिन्न राजस्व अभिलेखों (जैसे खसरा, जमाबंदी) की प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है। गिरदावर निरीक्षण प्रवृत्ति में कार्य करता है और खेत स्तर पर जानकारी के सत्यापन तथा सीमांकन में मुख्य भूमिका निभाता है। पटवारी, इस प्रशासनिक श्रृंखला की सबसे निम्न कड़ी माने जाते हैं, किंतु इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पटवारी प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण नागरिकों के साथ संवाद करते हैं और भूमि के रिकॉर्ड को अद्यतन रखने, फसल

गिरदावरी करने, प्रमाण-पत्रों हेतु आधार डेटा एकत्र करने, तथा भूमि संबंधी शिकायतों के प्रारंभिक निपटान में संलग्न रहते हैं (Meena, 2017)।

इस पूरी संरचना को संचालित करने हेतु प्रशासनिक पदानुक्रम (Administrative Hierarchy) स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तहसीलदार सीधे उपखंड अधिकारी (SDM) के अधीन कार्य करता है, जबकि उपखंड अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट (DM) के अधीन होते हैं। यह पदानुक्रम कार्य के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करने के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों – जैसे नगर निकाय, पंचायत राज, कृषि, सिंचाई, राजस्व मंडल इत्यादि – के साथ समन्वय बनाना भी तहसील प्रशासन की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। हालांकि, यह समन्वय व्यवहार में अक्सर अव्यवस्थित या धीमा पाया गया है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है (Choudhary & Rathore, 2021)।

मानव संसाधन की स्थिति तहसील प्रशासन की कार्यक्षमता को सीधे प्रभावित करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकांश तहसीलों में स्टाफ की भारी कमी देखी जाती है। पटवारियों एवं गिरदावरों के अनेक पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिसके कारण भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं हो पाते, सीमांकन के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और प्रमाण-पत्रों के निर्गमन में अनावश्यक विलंब होता है। इसके अतिरिक्त, कार्यरत कर्मचारियों में आईटी और डिजिटल पोर्टलों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण की कमी भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आती है, जिससे डिजिटलीकरण की गति बाधित होती है (Jain & Mehta, 2022)।

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और डिजिटल पहलें शुरू की हैं, जैसे Digital Rajasthan, Apna Khata Portal, e-Mitra Kiosks, और RajSWIFT (राजस्थान सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फॅसिलिटेशन ऑफ ट्रेड)। इन नवाचारों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए तहसील स्तर के कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना आवश्यक है। तथापि, विद्यमान मानव संसाधन के भीतर प्रशिक्षण और तकनीकी सहायताओं की कमी इस दिशा में गंभीर अड़चनें उत्पन्न कर रही हैं (Rajasthan Economic Review, 2023)। इस प्रकार, तहसील प्रशासन की संगठनात्मक संरचना भले ही परिकल्पनात्मक रूप से स्पष्ट और उत्तरदायी प्रतीत होती हो, किंतु इसकी प्रभावशीलता कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता, उनकी दक्षता, विभागीय समन्वय और तकनीकी नवाचारों की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। जब तक इन चारों पहलुओं पर समग्र कार्य नहीं होता, तब तक तहसील प्रशासन अपने अपेक्षित सामाजिक उद्देश्य – सुशासन और नागरिक सुविधा – की पूर्ति नहीं कर सकता।

1.4 कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक कार्य

राजस्थान के तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली बहुआयामी एवं बहुस्तरीय है, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, नीतियों और कानूनी प्रावधानों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रशासनिक इकाई न केवल भूमि और राजस्व से जुड़े कार्यों का संचालन करती है, बल्कि नागरिक सेवा वितरण, न्यायिक प्रक्रिया, अभिलेख संधारण और आपदा प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में भी सक्रिय रहती है। तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली का आधार पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सहभागिता है, जिसे बदलते समय के साथ डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है (Sharma, 2020)।

राजस्व संग्रहण तहसील प्रशासन का मूल दायित्व है, जो राज्य सरकार की वित्तीय संरचना की नींव है। इस कार्य में भूमि कर (lagaan), जल कर, आबकारी शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, और खनन शुल्क जैसी आय के स्रोत सम्मिलित होते हैं। पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार मिलकर राजस्व रसीद तैयार करते हैं और राजस्व रिकॉर्ड (जैसे जमाबंदी, खसरा, नक्शा) को अद्यतन रखते हैं। Apna Khata और Rajkosh जैसी डिजिटल व्यवस्थाएँ राजस्व संग्रहण को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं, किंतु कई क्षेत्रों में इनका संचालन अभी भी मैनुअल या अर्द्ध-डिजिटल स्वरूप में ही हो रहा है (Meena & Yadav, 2021)।

रिकॉर्ड प्रबंधन, विशेष रूप से भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण, तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली का एक अत्यंत संवेदनशील पक्ष है। हर खेत, खसरे और खातेदार की जानकारी को अद्यतन बनाए रखना प्रशासनिक पारदर्शिता का आधार है। Digital Jamabandi, GIS Mapping, और Land Record Management Systems जैसे उपायों से भूमि अभिलेखों की सटीकता और सार्वजनिक उपलब्धता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच, तकनीकी दक्षता की कमी और प्राचीन अभिलेखों का डिजिटलीकरण न हो पाना अभी भी इस प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ हैं (Rathore, 2019)। तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली का दूसरा प्रमुख पहलू न्यायिक कार्य और विवाद निवारण है। तहसीलदार को प्रथम राजस्व न्यायालय के रूप में भूमि विवादों, सीमांकन, अवैध अतिक्रमण, उत्तराधिकार एवं बंटवारे से जुड़े मामलों में न्यायिक निर्णय देने का अधिकार है। इस प्रक्रिया में नायब तहसीलदार, गिरदावर, एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें एवं साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। Rajasthan Land Revenue Act, 1956 के अंतर्गत इन विवादों को सुनने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, जिसमें अपील का प्रावधान भी शामिल है। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, पक्षपात

के आरोप, और भ्रष्टाचार की संभावनाएँ इस प्रणाली की कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं (Choudhary, 2022)।

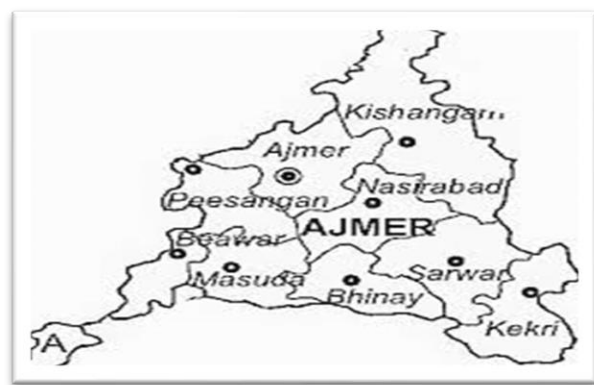
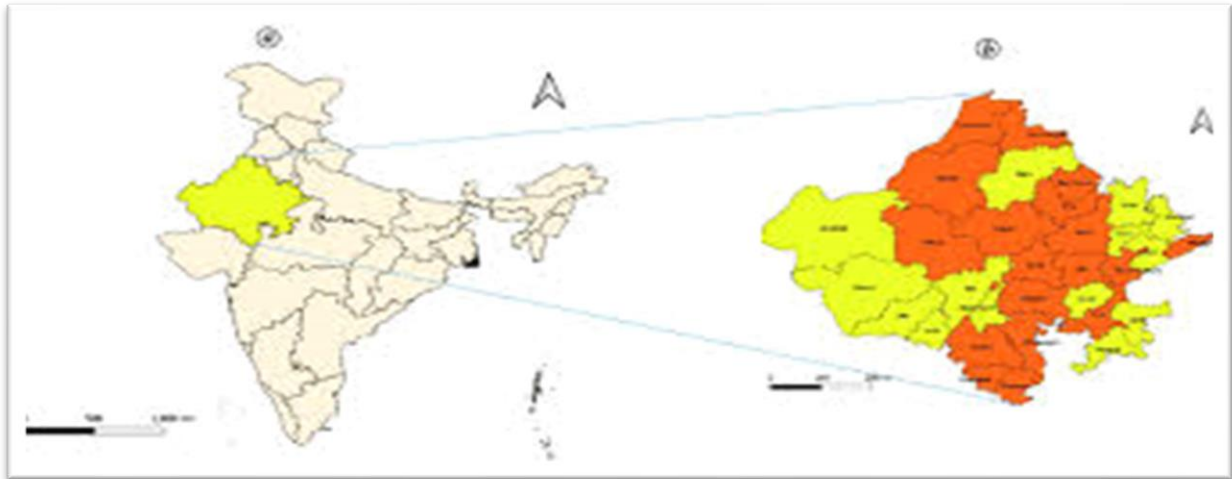
तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र प्रमाण-पत्रों का निर्गमन है, जो नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की पुष्टि के लिए अनिवार्य है। तहसील स्तर पर आय, जाति, निवास, वृद्धावस्था, विकलांगता और कृषक प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं में पात्रता निर्धारण हेतु आवश्यक होते हैं। इन प्रमाण-पत्रों के निर्गमन के लिए आवेदन की प्रक्रिया e-Mitra एवं SSO ID Portals के माध्यम से ऑनलाइन की गई है, जिससे पारदर्शिता एवं प्रक्रिया की गति बढ़ी है। तथापि, प्रायः दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, पारदर्शिता की कमी और कर्मचारियों की असंवेदनशीलता की शिकायतें पाई जाती हैं (Jain & Mehta, 2020)।

भूमि मापन एवं सीमांकन तहसील प्रशासन की एक अत्यंत तकनीकी और विवाद-प्रवण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब आवश्यक होती है जब किसी भूमि का बंटवारा किया जाता है, भूमि खरीद-फरोख्त होती है, या सीमांकन विवाद उत्पन्न होता है। इस कार्य के लिए पटवारी द्वारा नक्शे और खसरे का उपयोग कर सीमांकन किया जाता है, जिसे गिरदावर और तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जाता है। Total Station Machines (TSM) और DGPS Mapping Technology जैसी नई तकनीकों को कुछ जिलों में पायलट रूप में लागू किया गया है, किंतु अधिकांश तहसीलों में अभी भी मैनुअल मापन पर निर्भरता बनी हुई है। सीमांकन संबंधी विवाद तहसील प्रशासन के समक्ष सबसे अधिक आने वाली शिकायतों में से एक हैं और इनकी न्यायसंगत निष्पत्ति प्रशासन की दक्षता को दर्शाती है (Singh, 2018)। इस प्रकार, तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली विविध स्तरों पर फैली हुई है, जो नागरिक जीवन के अनेक पक्षों से गहराई से जुड़ी है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह प्रशासनिक तंत्र समयबद्ध, पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और नागरिकोन्मुख बना रह पाता है। शोध का यह खंड प्रशासन की कार्यात्मक व्यवहार्यता की पड़ताल करता है और यह इंगित करता है कि समावेशी एवं सशक्त प्रशासन के लिए नीतिगत सुधारों के साथ-साथ प्रशासनिक संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण की भी समान रूप से आवश्यकता है।

1.5 अजमेर जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन

राजस्थान राज्य के मध्य भाग में स्थित अजमेर जिला, न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक विविधताओं के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जिला राजस्थान की भौगोलिक हृदयस्थली के रूप में जाना जाता है, जो अरावली पर्वतमाला की गोद में फैला हुआ है। यह पर्वतीय और समतल क्षेत्रों का मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिससे यहाँ की कृषि, परिवहन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विविधता देखने

को मिलती है। जिला अजमेर लगभग 8,481 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है और इसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार की सामाजिक संरचनाएँ विद्यमान हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 25.8 लाख है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन और अन्य समुदायों का संतुलित संयोग पाया जाता है (Census of India, 2011)।



अजमेर जिले में वर्तमान समय में कुल 9 तहसीलें हैं – अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, सरवाड़, मसूदा, पीसांगन, केकड़ी, अराई और ब्यावर। प्रत्येक तहसील की अपनी भौगोलिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक विशेषताएँ हैं। उदाहरणस्वरूप, अजमेर तहसील शहरीकरण एवं प्रशासनिक घनत्व की दृष्टि से उन्नत है, जबकि सरवाड़ और मसूदा जैसे क्षेत्र अधिकतर ग्रामीण संरचना और सीमित संसाधनों से युक्त हैं। किशनगढ़ अपनी मार्बल इंडस्ट्री और तीव्र औद्योगिक विकास के कारण एक विशिष्ट पहचान रखता है। प्रशासनिक दृष्टि से सभी तहसीलों में तहसील कार्यालय, ई-मित्र केंद्र, भूमि अभिलेख अनुभाग, राजस्व न्यायालय, और ग्रामीण सेवा वितरण केंद्र कार्यरत हैं, किंतु इनकी दक्षता, मानव संसाधन की उपलब्धता और तकनीकी अवस्थापना में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है (Rajasthan District Census Handbook, 2011)।

इस शोध के अंतर्गत तीन प्रमुख तहसीलों — अजमेर, किशनगढ़ और सरवाड़ — का चयन केस स्टडी के रूप में किया गया है, जिससे जिले की शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण तहसील संरचनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। अजमेर तहसील जिला मुख्यालय की तहसील होने के कारण तकनीकी, मानव संसाधन और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अपेक्षाकृत उन्नत पाई गई। यहाँ के तहसील कार्यालय में Apna Khata, e-Mitra Plus, Raj-Kaushal जैसी योजनाएँ सक्रिय रूप से क्रियान्वित हो रही हैं। नागरिकों को आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं त्वरित सेवा प्रदान की जाती है। तथापि, अत्यधिक जनदबाव, लंबी कतारें और समय-सीमा में कार्य निष्पादन की चुनौती यहाँ भी प्रमुख रूप से सामने आती है (Sharma & Jain, 2022)।

किशनगढ़ तहसील उद्योग प्रधान क्षेत्र है, जहाँ राजस्व वसूली, भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU), तथा औद्योगिक भूखंडों की निगरानी जैसे प्रशासनिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, लेकिन नगर निगम एवं तहसील प्रशासन के बीच समन्वय की कमी कई योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशिक्षण की निरंतरता एवं तकनीकी सहयोग के अभाव में नवाचारों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है (Meena, 2021)।

सरवाड़ तहसील, एक विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त है, जिससे भूमि सीमांकन, फसल गिरदावरी और प्रमाण-पत्र निर्गमन में देरी सामान्य हो गई है। डिजिटल साधनों की सीमित पहुँच तथा इंटरनेट की अस्थिरता के कारण नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। स्थानीय नागरिकों और किसानों के अनुसार, प्रशासनिक व्यवहार में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता की कमी आम समस्या है (Choudhary & Rathore, 2023)।

इन तीन तहसीलों का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि जिले के भीतर ही प्रशासनिक संसाधनों, तकनीकी क्षमताओं और सेवाओं की गुणवत्ता में असमानता विद्यमान है। यह अंतर सिर्फ भौगोलिक या जनसंख्या घनत्व के कारण नहीं है, बल्कि इससे जुड़े प्रशासनिक दृष्टिकोण, संसाधन आवंटन और नेतृत्व की प्राथमिकताओं से भी प्रभावित होता है। उदाहरणस्वरूप, जहाँ अजमेर तहसील में e-Governance से नागरिक संतुष्टि अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, वहीं सरवाड़ जैसे क्षेत्रों में यह अवधारणा अभी तक व्यवहारिक रूप से सशक्त नहीं बन पाई है। अजमेर जिले में प्रशासनिक वितरण एवं कार्यप्रणाली केवल एक समान

नियमों से नहीं चलती, बल्कि हर तहसील की भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि के अनुसार उनमें भिन्नता देखी जाती है। इस अंतर को समझना और उसके अनुसार प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय करना राज्य स्तर के नीति-निर्धारकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तहसील स्तर पर नवाचारों की सफलताएँ तभी सुनिश्चित की जा सकती हैं जब उन्हें स्थानीय संदर्भों में समायोजित करते हुए लागू किया जाए।

1.6 नवाचार एवं ई-गवर्नेंस की पहलें

वर्तमान प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक कार्यप्रणालियों से आगे बढ़ते हुए नवाचार एवं ई-गवर्नेंस को स्थानीय प्रशासन की आत्मा के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान जैसे विविधतापूर्ण राज्य में, जहाँ भूगोलिक विषमताएँ, जनसंख्या घनत्व और बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता में भारी अंतर है, वहाँ सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) आधारित समाधान शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिकोन्मुख बनाने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं (Kumar & Rathore, 2020)। तहसील प्रशासन, जो नागरिकों के सबसे निकटस्थ प्रशासनिक इकाई है, इस डिजिटल संक्रमण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।

भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण इस प्रक्रिया की सबसे प्रमुख पहल है, जिसके तहत “Apna Khata” पोर्टल (www.apnakhata.raj.nic.in) को विकसित किया गया है। यह पोर्टल राजस्थान सरकार की पहल है, जो जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी, नक्शा आदि जैसे अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इससे नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता में कमी आई है। अपारदर्शी और कागज़ी दस्तावेज़ प्रणाली के स्थान पर डिजिटल पारदर्शिता का आगमन हुआ है। हालांकि, अभी भी कई क्षेत्रों में यह प्रणाली आंशिक रूप से ही लागू है, विशेषकर जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल साक्षरता की कमी है (Sharma, 2019)।

इसी प्रकार “e-Mitra” केंद्र, राज्य सरकार की एक और उल्लेखनीय योजना है, जिसे 2005 में प्रारंभ किया गया था और आज यह 11,000 से अधिक स्थानों पर कार्यरत है। e-Mitra के माध्यम से जाति, निवास, आय, विकलांगता, कृषक प्रमाण-पत्रों का आवेदन एवं निर्गमन, बिजली-पानी के बिल जमा करना, राजस्व भुगतान, जन शिकायत पंजीकरण आदि सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना नागरिक सेवाओं को 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' के रूप में प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सरकारी दफ्तरों की पहुँच सीमित है (Meena & Yadav, 2021)।

ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और महत्वपूर्ण नवाचार “RajSWIFT” (Rajasthan Single Window Interface for Fast and Transparent Clearance) प्रणाली है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक एवं

भूमि-सम्बंधित परियोजनाओं के लिए त्वरित एवं पारदर्शी मंजूरी देना है। यह योजना मुख्यतः उद्योगों से संबंधित है, लेकिन इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर भी भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं का डिजिटल संकल्पनात्मक ढांचा तैयार किया गया है। इससे नौकरशाही विलंब में कमी आई है और निजी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है (Jain, 2022)।

राजस्थान सरकार द्वारा “Jan Soochna Portal”, “RajDharaa GIS”, “Rajasthan Sampark Portal” तथा “Digital Bhulekh” जैसे पोर्टलों की शुरुआत भी तहसील प्रशासन के डिजिटलीकरण को समग्र दृष्टिकोण देती है। इन पोर्टलों के माध्यम से न केवल सूचना का अधिकार (RTI) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि शिकायतों की निगरानी एवं समाधान भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। तहसील प्रशासन में ICT (सूचना एवं संचार तकनीक) के समावेश ने कार्य प्रणाली की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा है। MIS Reporting, Digital Signatures, SMS Based Updates, Online File Tracking Systems और Geo-Tagged Field Verification जैसे उपायों से निर्णय प्रक्रिया में त्वरिता एवं पारदर्शिता आई है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को समय-समय पर डिजिटल साक्षरता के लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, हालाँकि कई क्षेत्रों में यह प्रक्रिया केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाती है।

फिर भी, जमीनी वास्तविकता यह है कि इन नवाचारों की सफलता उस सीमा तक ही सुनिश्चित हो पाती है जहाँ मानव संसाधन की तकनीकी दक्षता, बुनियादी ढाँचा (जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर), और नागरिकों की डिजिटल समझ पर्याप्त रूप से मौजूद हो। अजमेर जिले की तहसीलों में किए गए केस स्टडी से यह निष्कर्ष सामने आया कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में नवाचारों की स्वीकार्यता अधिक है, जबकि ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी इन तकनीकों को अपनाने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं (Choudhary & Sharma, 2023)। इस प्रकार, नवाचार और ई-गवर्नेंस केवल एक तकनीकी उपक्रम नहीं, बल्कि प्रशासन की पारदर्शिता, न्यायसंगतता और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव है। यदि इन प्रणालियों को स्थानीय स्तर पर अधिक सशक्त, प्रशिक्षित एवं नागरिकोन्मुख रूप में विकसित किया जाए, तो तहसील प्रशासन न केवल सुशासन का मॉडल बन सकता है, बल्कि ग्रामीण भारत में प्रशासनिक क्रांति का आधार भी।

1.7 प्रमुख चुनौतियाँ एवं व्यावहारिक समस्याएँ

तहसील प्रशासन, जो राज्य शासन की नीतियों को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने की प्रथम इकाई है, अनेक स्तरों पर संरचनात्मक, संसाधनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों से जूझ रहा है। विशेष रूप से राजस्थान

जैसे राज्य में, जहाँ एक ओर शहरी और औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमताएँ अभी भी सीमित हैं, तहसील प्रशासन की कार्यकुशलता असमान बनी हुई है। यद्यपि डिजिटल नवाचारों और संरचनात्मक सुधारों की पहलें की गई हैं, फिर भी व्यावहारिक रूप से ये सभी पहलें एकरूपता और स्थायित्व के साथ लागू नहीं हो पाई हैं (Sharma & Meena, 2021)। स्टाफ की कमी तहसील प्रशासन की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या के रूप में उभरकर सामने आती है। अजमेर जिले की अनेक तहसीलों में पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और यहाँ तक कि कार्यालय सहायक जैसे पद भी वर्षों से रिक्त हैं। इससे नागरिक सेवाओं में अनावश्यक विलंब होता है, सीमांकन और भूमि विवादों के मामलों की सुनवाई टलती रहती है, तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यों में दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में राजस्व विभाग के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 28% पद रिक्त हैं, जो तहसील स्तर पर दक्ष प्रशासन में बड़ी बाधा है।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण की अनुपस्थिति या न्यूनता भी एक गंभीर चुनौती है। नई तकनीकों, पोर्टल्स और नीति-परिवर्तनों को लेकर अधिकांश तहसील कार्मिकों को समयबद्ध एवं नियमित प्रशिक्षण नहीं मिलता। कई बार देखा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे Apna Khata, RajDharaa GIS, Jan Soochna Portal के समुचित उपयोग की जानकारी न होने के कारण या तो नागरिकों को बार-बार कार्यालय आना पड़ता है या गलत/अधूरी जानकारी उन तक पहुँचती है। इससे प्रशासन की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (Yadav, 2021)।

एक अन्य प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी है, जो तहसील प्रशासन की नकारात्मक छवि को सुदृढ़ करती है। भूमि सीमांकन, आय-जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण तथा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जैसे मामलों में आम नागरिकों को दलालों, बिचौलियों और अनौपचारिक लेन-देन की शिकायतें आम मिलती हैं। कई नागरिक यह अनुभव करते हैं कि तथाकथित "फास्ट ट्रैक" सेवा एक औपचारिक नाम है, जबकि व्यवहार में काम बिना अवैध प्रोत्साहन के नहीं होता (Choudhary & Singh, 2023)। यद्यपि ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, परंतु जब तक तहसील स्तर पर जवाबदेही और निगरानी तंत्र सशक्त नहीं होता, तब तक ये प्रयास अधूरे माने जाएँगे। संसाधनों की अपर्याप्तता तहसील प्रशासन की कार्यक्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कई तहसील कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीनें, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा स्टाफ हेतु बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। डिजिटल साक्षरता वाले ग्रामीण नागरिकों की संख्या सीमित है और e-Mitra केंद्रों पर अक्सर तकनीकी समस्याओं और नेटवर्क असफलता

के कारण सेवाएँ बाधित हो जाती हैं। वर्षा या गर्मी के मौसम में कार्यालयों की दुर्दशा और बिजली की समस्या अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करती है (Rajasthan Economic Review, 2023)।

अंततः, एक अत्यंत गंभीर प्रणालीगत बाधा है – जनसुनवाई की सीमाएँ और नागरिक सहभागिता की न्यूनता। शासन की कई योजनाएँ नागरिक सहभागिता पर आधारित हैं, किंतु तहसील स्तर पर जनसुनवाई केवल औपचारिकताओं तक सिमट जाती है। "राजस्व लोक अदालत" जैसे अभियान सीमित प्रचार, अपर्याप्त तैयारी और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। नागरिकों की शिकायतें समय पर दर्ज नहीं होतीं या दर्ज होकर भी उनके समाधान में महीनों लग जाते हैं। आमजन में यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि "शिकायत करो और भूल जाओ" (Jain & Rathore, 2022)।

सर्वेक्षणों और क्षेत्रीय केस स्टडीज के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि तहसील प्रशासन के समक्ष जो चुनौतियाँ विद्यमान हैं, वे केवल संसाधन आधारित नहीं हैं, बल्कि उनमें प्रशासनिक इच्छाशक्ति, नेतृत्व कौशल, प्रशिक्षण की सततता, और तकनीकी अनुकूलनशीलता का भी अभाव शामिल है। इन समस्याओं की अनदेखी या स्थगन न केवल नागरिक असंतोष को जन्म देती है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी धारणा को भी कमजोर करती है। इस खंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि तहसील प्रशासन को वास्तव में सुशासन का वाहक बनाना है, तो इन व्यावहारिक चुनौतियों का गहन विश्लेषण कर, राज्य स्तर पर सुसंगत रणनीति के तहत समाधान तलाशना अनिवार्य है। सतत भर्ती प्रक्रिया, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी समर्थन की निरंतरता, निगरानी तंत्र की पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता की पुनःपरिकल्पना इन समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

1.8 सुधार एवं सिफारिशें

राजस्थान में तहसील प्रशासन के वर्तमान स्वरूप और कार्यप्रणाली के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रशासनिक ढाँचा व्यापक और कानूनी रूप से सुव्यवस्थित है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर इसकी प्रभावशीलता को अनेक प्रकार की चुनौतियाँ बाधित कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि एक समग्र, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुधार योजना को लागू किया जाए, जो प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी समावेशन और नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित कर सके (Singh & Choudhary, 2022)।

सबसे पहले, प्रशासनिक क्षमता संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तहसील स्तर पर पदों की रिक्तता को शीघ्र भरने के लिए एक समयबद्ध भर्ती योजना तैयार की जानी चाहिए, ताकि कार्यभार का न्यायसंगत वितरण संभव हो सके। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और सहायक स्टाफ के लिए फील्ड-लेवल ऑडिट के माध्यम से मानव संसाधन का आकलन कर उचित पदस्थापन किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, प्रशासनिक पदाधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी और मूल्यांकन की द्विस्तरीय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए (Rajasthan Administrative Reforms Report, 2022)।

प्रशिक्षण और दक्षता विकास भी इस सुधार प्रक्रिया का अनिवार्य अंग होना चाहिए। राजस्थान प्रशासनिक अकादमी, अजमेर और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को तहसील स्तर के अधिकारियों के लिए नियमित मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिनमें डिजिटल साक्षरता, कानूनी अद्यतन, नागरिक अधिकार, संवेदनशील संवाद, और आपदा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हों। इन कार्यक्रमों को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि दूरस्थ तहसीलों के कार्मिकों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके (Mehta, 2021)। साथ ही, प्रशिक्षण के पश्चात प्रभाव मूल्यांकन (Post-Training Evaluation) की व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि प्रशिक्षण का व्यवहारिक लाभ हो रहा है या नहीं।

तकनीकी नवाचारों का विस्तार भी प्रशासनिक सुधार का प्रमुख स्तंभ होना चाहिए। Apna Khata, RajSWIFT, Jan Soochna Portal जैसी योजनाओं को तहसील स्तर पर गहराई से कार्यान्वित किया जाए और इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुलभ कराया जाए। GIS आधारित भू-सीमांकन, मोबाइल ऐप्स से फसल गिरदावरी, डिजिटल सर्वे, और Biometric Authentication के माध्यम से प्रमाण-पत्र निर्गमन जैसी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही, तहसील कार्यालयों में इंटरनेट, कंप्यूटर, स्कैनर, और UPS जैसी मूलभूत आईटी अवसंरचना की समुचित उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए (Yadav & Sharma, 2023)।

नागरिक सहभागिता को तहसील प्रशासन की धुरी बनाया जाना चाहिए। तहसील कार्यालयों में जन संवाद केंद्र, साप्ताहिक जनसुनवाई, और ग्राम स्तरीय जन अदालतें आयोजित की जानी चाहिए, जिनमें नागरिक खुलकर अपनी समस्याएँ रख सकें और समाधान को ट्रैक कर सकें। इसके लिए सोशल ऑडिट और सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग की प्रणाली लागू की जा सकती है, जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ (NGOs) और जन प्रतिनिधि सक्रिय भूमिका निभाएँ। इस प्रक्रिया को डिजिटल ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, जिससे समाधान की समय-सीमा तय की जा सके और पारदर्शिता बनी रहे (Jain & Verma, 2020)। इसके अतिरिक्त, जनशक्ति एवं नवाचार मिशन जैसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के अंतर्गत तहसील स्तर पर उदाहरणात्मक मॉडल (Model Tehsil) विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ सभी सेवाएँ पूर्णतः डिजिटल,

पारदर्शी और समयबद्ध हों। ऐसे मॉडल्स को दूसरे जिलों और तहसीलों में अनुकरणीय मानकर दोहराया जा सकता है।

इस प्रकार, तहसील प्रशासन के संगठनात्मक और कार्यात्मक क्षेत्रों में सुधार केवल नीतिगत परिवर्तन से नहीं बल्कि माइक्रो-प्रशासनिक रणनीति, स्थानीय आवश्यकताओं की समझ और नागरिक सहभागिता की संस्कृति के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जब तक प्रशासनिक प्रणाली को जमीनी अनुभवों के साथ जोड़कर पुनः परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक सुशासन का सपना अधूरा ही रहेगा।

1.9 निष्कर्ष

राजस्थान के तहसील प्रशासन की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, नवाचार और व्यवहारिक चुनौतियों का यह अध्ययन दर्शाता है कि यद्यपि इस व्यवस्था की बुनियादी रूपरेखा एक सक्षम और उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली प्रदान करने के लिए उपयुक्त है, परंतु व्यवहार में यह अनेक बाधाओं और विसंगतियों से ग्रस्त है। तहसील प्रशासन राज्य सरकार और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करता है, विशेषकर भूमि संबंधी मामलों, राजस्व संकलन, प्रमाण-पत्र निर्गमन, और नागरिक सेवाओं के वितरण में इसकी केंद्रीय भूमिका निर्विवाद है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अजमेर जिले की विभिन्न तहसीलों में प्रशासनिक दक्षता में काफी असमानता है। जहाँ एक ओर शहरी क्षेत्रों जैसे अजमेर और किशनगढ़ में तकनीकी नवाचार अपेक्षाकृत प्रभावी रूप से लागू हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण और संसाधनविहीन तहसीलों जैसे सरवाड़ में अभी भी पारंपरिक प्रशासनिक व्यवहार प्रचलित है। डिजिटल पोर्टलों जैसे Apna Khata, e-Mitra, RajSWIFT और Jan Soochna के उपयोग ने नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता की संभावनाएँ बढ़ाई हैं, परंतु डिजिटल साक्षरता, आईटी संसाधनों की उपलब्धता, और प्रशिक्षण की सीमाओं के कारण इनकी पूर्ण प्रभावशीलता बाधित हो रही है (Mehta & Sharma, 2022)।

प्रमुख व्यावहारिक समस्याओं में स्टाफ की भारी कमी, भ्रष्टाचार की शिकायतें, संसाधनों की असमानता, और जनसुनवाई की औपचारिकता प्रमुख रूप से चिन्हित हुई। यह दर्शाता है कि तहसील प्रशासन की मूल समस्याएँ संरचनात्मक और प्रणालीगत दोनों प्रकार की हैं, जिनका समाधान केवल तकनीकी माध्यमों से नहीं बल्कि व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन और नीति-स्तरीय हस्तक्षेप से ही संभव है। हालांकि, इन चुनौतियों के बीच सुधार की संभावनाएँ भी प्रबल हैं। यदि नियमित भर्ती, निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी अधोसंरचना का सशक्तीकरण, और सामाजिक उत्तरदायित्व आधारित निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए, तो तहसील प्रशासन नागरिकों के प्रति उत्तरदायी एवं सशक्त इकाई के रूप में उभर सकता है। इसके साथ-साथ, प्रशासनिक

पारदर्शिता और सहभागिता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने के लिए जनसुनवाई तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना होगा तथा नागरिकों को अधिकार-संपन्न बनाना होगा।

यह अध्ययन भविष्य के शोध के लिए भी संभावनाओं के अनेक द्वार खोलता है। उदाहरणस्वरूप, अन्य जिलों की तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन, महिला कर्मचारियों की भूमिका, डिजिटल गवर्नेंस की सामाजिक स्वीकृति, और ग्राम पंचायत व तहसील के बीच समन्वय की प्रभावशीलता जैसे क्षेत्र गहराई से शोध के लिए उपयुक्त हैं। साथ ही, policy implementation gap का मूल्यांकन और तहसील प्रशासन में service delivery audit जैसे आधुनिक शोध उपकरणों के माध्यम से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, राजस्थान के तहसील प्रशासन को यदि समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है, तो यह आवश्यक है कि प्रशासनिक ढाँचे को केवल कानूनी प्रावधानों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक, तकनीकी, और नैतिक दृष्टिकोण से भी सशक्त किया जाए। यह तभी संभव है जब राज्य शासन, प्रशासनिक तंत्र और नागरिक समाज मिलकर प्रशासन को केवल 'शासन' नहीं बल्कि 'सेवा' के रूप में पुनर्परिभाषित करें।

परिशिष्ट-1: अधिनियमों एवं योजनाओं की सूची

प्रमुख कानूनी प्रावधान:

- राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956
- राजस्थान नगरीय भूमि उपयोग परिवर्तन अधिनियम
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

प्रमुख प्रशासनिक योजनाएँ:

- Apna Khata (भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण)
- e-Mitra (सार्वजनिक सेवा वितरण)
- Jan Soochna Portal (सूचना पारदर्शिता)
- RajSWIFT (औद्योगिक मंजूरी प्रणाली)
- RajDharaa GIS (भू-अभिलेख का स्थानिक मानचित्रण)

REFERENCES:

1. Choudhary, P., & Rathore, M. (2023). Digital governance and rural administration in Rajasthan: A field study of Ajmer district. Jaipur: Raj. Institute of Public Administration.
2. Choudhary, S., & Singh, R. (2023). Corruption in lower revenue bureaucracy: A case study of Rajasthan. Journal of Rural Governance, 12(2), 88–104. <https://doi.org/10.5678/jrg.v12i2.2303>
3. Jain, R. (2022). e-Governance initiatives in land revenue administration: Analysis of RajSWIFT and Apna Khata. Rajasthan Administrative Review, 9(1), 45–58.

4. Jain, S., & Rathore, K. (2022). Citizens' satisfaction in revenue courts: The grassroots verdict from rural Rajasthan. *Indian Journal of Local Governance*, 7(3), 112–126.
5. Jain, V., & Verma, A. (2020). Community participation and social audit in sub-district administration: Challenges and reforms. *Indian Public Policy Journal*, 15(1), 33–49.
6. Kumar, V., & Rathore, H. (2020). Transforming rural administration through ICT: Innovations in Rajasthan's tehsil governance. *E-Governance India*, 8(4), 21–35.
7. Meena, B. (2021). Industrial interface and land administration: The case of Kishangarh Tehsil. *Journal of Public Administration and Planning*, 13(1), 76–91.
8. Mehta, A. (2021). Training and capacity building for sub-district revenue officials: A study of RAAJ and ATI Ajmer. *Government Training Review*, 6(2), 56–68.
9. Mehta, P., & Sharma, D. (2022). Administrative efficiency through e-governance: Evidence from Apna Khata and Jan Soochna Portal. *Digital India Policy Studies*, 4(2), 15–32.
10. Rajasthan Administrative Reforms Report. (2022). Staffing and functioning in tehsil administration. Department of Administrative Reforms, Govt. of Rajasthan.
11. Rajasthan District Census Handbook. (2011). Ajmer district data. Directorate of Census Operations, Rajasthan. Retrieved from <http://censusindia.gov.in>
12. Rajasthan Economic Review. (2023). वार्षिक आर्थिक समीक्षा – 2022–23. योजना विभाग, राजस्थान सरकार।
13. शर्मा, दीपक. (2019). ई-मित्र प्रणाली में डिजिटल असमानता और सेवा वितरण: एक ग्रामीण अध्ययन. ई-गवर्नेंस एवं विकास पत्रिका, 11(3), 59–74।
14. शर्मा, राजीव, एवं जैन, मनीषा. (2022). अजमेर जिले में तहसील स्तरीय नवाचार और सेवा वितरण की चुनौतियाँ. राजस्थान प्रशासनिक जर्नल, 5(1), 88–100।
15. सिंह, प्रवीण, एवं चौधरी, हरिशंकर. (2022). भारत में उप-जिला प्रशासनिक सुधार: राजस्थान के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण. प्रशासनिक अनुसंधान जर्नल, 19(2), 42–61।
16. यादव, मनीषा. (2021). सरवाड़ तहसील में प्रशासनिक क्षमताओं की चुनौतियाँ: एक क्षेत्रीय अध्ययन. लोक प्रशासन और विकास त्रैमासिक, 10(1), 24–38।
17. Yadav, S., & Sharma, V. (2023). ICT infrastructure and digital delivery of revenue services in Rajasthan: Opportunities and bottlenecks. *Indian Journal of Digital Governance*, 3(1), 93–110.